



प्रेस नोट

जनपद अम्बेडकरनगर

थाना – कोतवाली अकबरपुर

दिनांक – 29.10.2026

जनपद अम्बेडकरनगर थाना कोतवाली अकबरपुर पुलिस द्वारा एटीएम मशीन के कैश स्लॉट में स्टील की पत्ती लगाकर एवं एटीएम कार्ड बदलकर धोखाधड़ी से ग्राहकों के रुपये चोरी करने वाले 02 शातिर अन्तर्जनपदीय अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 12 स्टील की पत्तियां, 04 एटीएम कार्ड, ₹2,000 नकद, घटना में प्रयुक्त उपकरण एवं स्विफ्ट डिजायर कार बरामद।

पुलिस अधीक्षक जनपद अम्बेडकरनगर सुश्री प्राची सिंह के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री देवेश चतुर्वेदी (IPS) के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री अरुण कुमार नौहवार के मार्गदर्शन तथा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली अकबरपुर भूपेन्द्र कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना कोतवाली अकबरपुर पुलिस टीम द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई।

घटना का संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 28.10.2026 को वादी अजय कुमार पाण्डेय पुत्र इन्द्रवलि पाण्डेय, निवासी शहजादपुर, थाना कोतवाली अकबरपुर, जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा लिखित तहरीर दी गई कि एसबीआई एटीएम, फक्वारा तिराहा, अकबरपुर के पास अज्ञात व्यक्तियों द्वारा धोखाधड़ी कर उनके ₹2,000 चोरी कर लिए गए हैं। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली अकबरपुर पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्यवाही प्रारंभ करते हुए, घटना के शीघ्र अनावरण हेतु पुलिस टीम गठित की गई।

उच्चाधिकारियों के निर्देशन में गठित पुलिस टीम द्वारा दिनांक 29.10.2026 को मुखबिर की सूचना पर 02 अन्तर्जनपदीय अभियुक्तों 1. खैरुल वासर पुत्र निजामुद्दीन, निवासी बेलहरी, जनपद गाजीपुर तथा 2. बैदुल्ला पुत्र अमीन, निवासी मुहम्मदाबाद, जनपद मऊ को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से एटीएम मशीन के कैश स्लॉट में रुपये रोकने हेतु प्रयुक्त 12 स्टील की पत्तियां, 04 एटीएम कार्ड, ₹2,000 नकद, 01 पेचकस, 01 प्लास, 01 कटर, 01 कैंची, 02 बंडल रेडियम टेप तथा घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट डिजायर कार संख्या UP 32 PC 1709 बरामद की गई।

अभियुक्तों द्वारा विभिन्न जनपदों में एटीएम मशीनों के कैश स्लॉट में स्टील की पत्ती लगाकर ग्राहकों की नकदी रोकने तथा एटीएम कार्ड बदलकर धोखाधड़ी से रुपये चोरी करने की घटनाएं कारित की जाती थीं। उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना कोतवाली अकबरपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-616/2026, धारा 318(4)/303(2)/317(2)/3(5) बीएनएस के अंतर्गत आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता—

1. खैरुल वासर पुत्र निजामुद्दीन, निवासी बेलहरी, थाना खानपुर, जनपद गाजीपुर, उम्र लगभग 32 वर्ष।
2. बैदुल्ला पुत्र अमीन, निवासी सरकंडा भादिर, थाना मुहम्मदाबाद, जनपद मऊ, उम्र लगभग 28 वर्ष।

बरामदगी का विवरण—

1. एटीएम मशीन के कैश स्लॉट में रुपये रोकने हेतु प्रयुक्त स्टील की पत्तियां – 12 अदद
2. एटीएम कार्ड – 04 अदद
3. नकद धनराशि – ₹2,000
4. पेचकस – 01 अदद
5. प्लास – 01 अदद
6. कटर – 01 अदद
7. कैची – 01 अदद
8. रेडियम टेप – 02 बंडल
9. घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट डिजायर कार – UP 32 PC 1709

आपराधिक इतिहास अभियुक्त बैदुल्ला—

1. मु0अ0सं0-616/2026, धारा 318(4)/303(2)/317(2)/3(5) बीएनएस, थाना कोतवाली अकबरपुर, जनपद अम्बेडकरनगर।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त खैरुल वासर—

1. मु0अ0सं0-616/2026, धारा 318(4)/303(2)/317(2)/3(5) बीएनएस, थाना कोतवाली अकबरपुर, जनपद अम्बेडकरनगर।
2. मु0अ0सं0-160/2015, धारा 392/411 भादवि, थाना भेलूपुर, कमिश्नरेट वाराणसी।
3. मु0अ0सं0-181/2015, धारा 391/411 भादवि, थाना भेलूपुर, कमिश्नरेट वाराणसी।
4. मु0अ0सं0-476/2016, धारा 419/420 भादवि, थाना चौबेपुर, कमिश्नरेट वाराणसी।
5. मु0अ0सं0-152/2017, धारा 419/420/468/471 भादवि, थाना बड़ागांव, कमिश्नरेट वाराणसी।
6. मु0अ0सं0-218/2018, धारा 419/420/406/467/468/471 भादवि, थाना चन्दवक, जनपद जौनपुर।
7. मु0अ0सं0-107/2019, धारा 419/420/467/468/471 भादवि, थाना चन्दवक, जनपद जौनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम—

1. उ0नि0 रणविजय सिंह, चौकी प्रभारी शहजादपुर
2. उ0नि0 राकेश खरवार
3. का0 मंगल यादव
4. का0 धनंजय यादव
5. का0 राम नरेश भारद्वाज
6. का0 तन्मय तिवारी
7. का0 अभिषेक तिवारी